

जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

Phone No. 07741-233110, Fax No. 07741-232987, E-mail swkabirdham@gmail.com

क्रमांक / 55 / स.क. / स्था. / 2020

कबीरधाम, दिनांक 16/01/2020

—:: शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु निविदा सूचना ::—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अपलेखित निम्न शासकीय वाहन का निविदा द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	वाहन क्रमांक व मॉडल	वाहन का प्रकार व पी.ओ.एल.	स्थान जहां वाहन उपलब्ध है	अपसेट प्राईज	धरोहर राशि
1	2	3	4	5	6
1	CG-02-3480(2007)	Mahindra Bolero DI	कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम	40000/- (रु. चालीस हजार)	4000/- (रु.चार हजार)

नियम/शर्त :-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में "उपसंचालक, समाज कल्याण, जिला कबीरधाम" को संबोधित कर भेजी जावेगी। लिफाफे के उपर "वाहन क्रमांक- CG-02-3480 (2007) हेतु निविदा" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकार को निविदा के साथ धरोहर राशि नगद जमा किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनकी निविदा नहीं खोली जावेगी। निविदा स्वीकृत नहीं होने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य होगी।
3. आवेदन का निर्धारित प्रारूप " कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण, जिला कबीरधाम" से प्राप्त करेंगे तथा निविदा की अमानत राशि कार्यालय के स्थापना शाखा में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा।
4. वाहन जहां पर जैसी हालत में है, वहीं से उठाना होगा। निविदा राशि अंकों व शब्दों में अंकित करना होगा। राशि अंकन में किसी प्रकार का काट-छांट व सुधार होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगा।
5. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी, उन्हें निविदा की संपूर्ण राशि सूचना प्राप्ति की सात दिवस के अंदर जमा कर वाहन उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहन उठाते समय नम्बर प्लेट खोलकर ही दिया जायेगा।
6. सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। निविदा को अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार समिति को होगा, जिसके लिए किसी प्रकार का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
7. मुहरबंद निविदा दिनांक 30.01.2020 को दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण, जिला कबीरधाम में जमा कराई जा सकेगी। समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. नियत समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक 30.01.2020 को दोपहर 04:00 बजे कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण, जिला कबीरधाम में खोली जावेगी। निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
9. निविदा स्वीकृति पश्चात क्रेता को परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन क्रमांक का प्रयोग क्रेता द्वारा नहीं किया जावेगा।
10. नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहन शासकीय कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उपसंचालक

समाज कल्याण

जिला कबीरधाम (छ.ग.)